बाल श्रम कानूनों की लोगों को दी जाय जानकारी

श्रावस्ती संवाददाता। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार सीओ संदीप वर्मा की अध्यक्षता में विशेष किशोर पुलिस इकाई की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक हुई। बैठक में बाल श्रम को रोकने, पॉस्को एक्ट के साथ-साथ बाल विवाह को रोकने व उनके कल्याण के लिए सरकार की ओर से संचालित योजनाओं को विस्तार से बताया गया।

बैठक में सीओ ने महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, थानों में नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी व विवेचक के समक्ष आ रही समस्या, पीड़िता के आवासन, बाल गुमशुदा, बाल श्रम, नशामुक्ति अभियान, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम की जानकारी दी। इसके साथ ही लैंगिक समानता, नारी शक्ति, किशोर न्याय अधिनियम-2015 में हुए नवीनतम संशोधन, पोक्सो एक्ट के अभियोग पंजीकृत करने के 24 घण्टे के अन्दर सूचित करना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यदि किसी बाल अपचारी की ओर से कोई घटना की जाती है तो दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही कार्रवाई सभी बाल कल्याण अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर बाल श्रम के विरुद्ध चलायी जा रही योजनाओं के बारे में जनमानस को जागरूक करने की जरूरत है।

मल्हीपुर में की गई संयुक्त गश्त

श्रावस्ती। संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर पुलिस की ओर से पहले से ही तैयारी की जा रही है। एसपी के निर्देश पर ऐसे केन्द्रों का चिन्हीकरण करके पुलिस और बीएसएफ की ओर से संयुक्त गश्त की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को थानाध्यक्ष मल्हीपुर जयहरि मिश्रा मय पुलिस टीम व बीएसएफ ने संयुक्त रूप से कस्बा वीरगंज में एरिया डोमिनेशन व फ्लैग मार्च किया।

इसके साथ ही क्रिटिकल व वल्नरेबल मतदान केन्द्रों का जायजा लिया। पैदल गश्त के दौरान पुलिस ने जनमानस को सुरक्षा का अहसास दिलाया तथा ग्रामीणों से बातचीत करके मतदान के दिन निर्भीक होकर शत प्रतिशत मतदान करने के लिए जागरूक किया।